

दिनांक 09 दिसंबर 2017 को नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें दीवानी, आपराधिक, मोटर दावा एवं पारिवारिक विवाद, विधुत संबंधित प्रकरण धारा 138 एन0आई0 एक्ट से संबंधित सभी प्रकार के लंबित एवं प्रिलिटिगेशन प्रकरणों का राजीनामा के माध्यम से निराकरण किया जावेगा। आपका प्रकरण लंबित हो तो अवसर का लाभ उठाकर संबंधित न्यायालय में अपना प्रकरण का निराकरण करावें।

अधिक जानकारी के लिए जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, दंतेवाड़ा तालुका बीजापुर , सुकमा, बचेली अध्यक्ष /सचिव से संपर्क करें।

फोन नंबर— 07856—252534

अध्यक्ष / सचिव  
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण  
दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा (छ0ग0)